



112  
25/10

मेल द्वारा:- अग्रिम प्रति

सेवा में,

निदेशक,  
सेवायोजन उत्तराखण्ड हल्द्वानी,  
नैनीताल

विषय:-सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

सन्दर्भ:-पत्रांक103/डी.टी.ई.यू./ई-1/स्था0अधि/विकल्प पत्र/2018 दिनांक 20.04.2018  
महोदय,

विनम्र निवेदन करना है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक 1203-14/डीडीई/ई-1/स्था0/2017 दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून के पत्रांक 1564-69/0901/ई-1/स्था0/17 दिनांक 24.07.2017 के अनुपालन में मेरा स्थानान्तरण क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून से जिला सेवायोजन कार्यालय गोपेश्वर में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र में सचिवीय पद्धति के पद पर हुआ था। आदेशों के अनुपालन में मैंने 26.07.2017 को कार्यभार ग्रहण किया। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में यह अनुरोध करना है कि मेरा स्थानान्तरण जुलाई 2010 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में हुआ था। और मेरी सेवाकाल में 25 वर्ष की सेवाएं दुर्गम क्षेत्र की थी, जब मेरा स्थानान्तरण जुलाई 2017 में देहरादून से जिला सेवायोजन कार्यालय गोपेश्वर में किया गया था तो मेरी आयु 57 वर्ष से अधिक की थी व मुझे विश्वस्त्र सूत्रों से ज्ञात हुआ कि शासनादेश में यह प्राविधान था कि जिन अधिकारी/कर्मचारी की आयु 55 वर्ष से अधिक की है तो बिना अधिकारी/कर्मचारी के सहमति के स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुदेशक सचिवीय पद्धति के पद पर कार्यरत श्री कुंवर सिंह मेवाड़ जो पूरे सेवाकाल में जनपद देहरादून में ही कार्यरत है। और सुगम से दुर्गम क्षेत्र की सूची में किन नियमों के तहत सम्बन्धित कर्मचारी को स्थानान्तरण हेतु सूची में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में मैं तत्कालीन निदेशक डॉ० अशोक कुमार महोदय से मिला और अपनी समस्याओं की जानकारी उनको मौखिक रूप से दी, कि मेरी पत्नी व मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पत्नी को बार-बार देहरादून आना पड़ता है। इस हेतु मेरा स्थानान्तरण स्थगित किया जाय। किन्तु उनके द्वारा मौखिक रूप से यह बताया कि जनपद चमोली में जिला सेवायोजन अधिकारी का पद काफी समय से रिक्त है, साथ ही अपने कार्य के साथ-साथ आपको जिला सेवायोजन अधिकारी का कार्य भी देखना है, क्योंकि 2014 में जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु विभाग एवं शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को पदोन्नति हेतु अधियाचन भेजा गया था, जिसमें मैं भी एक पात्र कर्मचारी था, किन्तु जब 28/29 जून 2017 को आयोग में डीपीसी बैठी जिसमें मुझसे कनिष्ठ कर्मचारीयों के नामों पर

CAO/25/10/2018

क्रमशः


3  
11.5.18

सहमति दी गई, किन्तु मुझे .84 प्रतिशत होने पर वंचित कर दिया गया। मेरे द्वारा 11 जुलाई 2017 को निदेशक महोदय, सचिव महोदय एवं लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माननीय अध्यक्ष लोकसेवा आयोग एवं सचिव लोकसेवा आयोग को बार-बार प्रत्यावेदन दिया गया। तत्पश्चात् शासन द्वारा भी उक्त प्रकरण पर कार्मिक विभाग की सलाह लेने के बाद शासनादेश दिनांक 14.03.2005 के प्रस्तर-2/(2) में क्षैतिज आरक्षण की गणना 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पूर्णांक के रूप में किये जाने का प्राविधान होने के दृष्टिगत शासन ने पत्र संख्या 1182/VIII/17-18 (श्रम)/2017 दिनांक 27 सितम्बर 2017 को पुनः पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए सचिव लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया, तदोपरान्त आयोग द्वारा बार-बार उक्त पद पर चयन हेतु तिथि निर्धारित की गई, लेकिन शासन द्वारा बार-बार प्रतिनिधित्व न होने के कारण आगामी तिथि निर्धारित करने के लिए पत्र भेजा जाता रहा, तत्पश्चात् 28 फरवरी 2018 को उक्त पद की डीपीसी आयोग में सम्पन्न हुई, मुझे जानकारी मिली कि 5 अप्रैल 2018 को सचिव लोकसेवा आयोग की सहमति का पत्र सचिव सेवायोजन को प्राप्त हो गया है। अभी तक मेरी पदोन्नति का प्रकरण शासन एवं निदेशालय स्तर पर लम्बित है। मेरी सेवाकाल के मात्र 2 वर्ष अवशेष है मेरी पत्नी राज्य सरकार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैर जनपद चमोली में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है एवं उनका स्वास्थ्य बार-बार अस्वस्थ हो जाता है यहां पर उपचार के अच्छे साधन न होने के कारण उपचार के लिए बार-बार देहरादून या अन्य चिकित्सालयों पर ले जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि मेरी पदोन्नति होने पर मुझे जिला सेवायोजन कार्यालय चमोली में यथावत रखा जाय, और यदि स्थानान्तरण/पदोन्नति पर स्थानान्तरण किया जाता है तो मेरी सेवाकाल को एवं पारवारिक परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए एक मात्र विकल्प क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून का देना चाहता हूँ।

दिनांक 26-4-2018

सादर सहित।

भवदीय

  
(अब्बल सिंह विष्ट)

अनुदेशक सचिवीय पद्धति,  
जिला सेवायोजन कार्यालय,  
गोपेश्वर, चमोली।

